संख्या: 1135 /XI/15/56(38)2015

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 25 अगस्त, 2015

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते कैंटीन की व्यवस्था और उसका संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांकः 30.07.2015 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है, जिसका नाम **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय"** रखा जाना है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वन हेतु योजना की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं–

1. योजनान्तर्गत 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' कैंटीन की स्थापना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में की जाएगी। उक्त कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन होगी।
2. नगर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा उक्त कैंटीन के संचालन हेतु निःशुल्क स्थान/फर्नीचर आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा क्रमशः बिजली एवं पानी की व्यवस्था निःशुल्क करायी जाएगी।
3. उक्त कैंटीन महिला स्वंय सहायता समूहों से संचालित कराई जाएगी।
4. योजनान्तर्गत प्रति थाली ₹20.00 उपभोक्ता से लिया जाएगा तथा ₹10.00 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा, जिस हेतु बजट की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी है।
5. जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उ0सिं0 नगर जैसे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति दिन अधिकतम 1200 थाली भोजन एवं अन्य जनपदों में प्रतिदिन अधिकतम 800 थाली भोजन दिया जाना है।
6. स्वंय सहायता समूहों को लाभान्वितों का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें उनका नाम एवं निवास स्थान अंकित हों, रखना आवश्यक होगा ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंशदान प्राप्त किए जाने में कोई अनियमितता न हो।
7. कैंटीन के संचालन हेतु ईंधन/एल0पी0जी0 गैस की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

8. योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन का समस्त उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

योजना के प्रथम चरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांकः 15.08.2015 को देहरादून नगर क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' का उद्घाटन किया गया। उक्त योजना के प्रति आमजन में बढ़ती लोकप्रियता के दृष्टिगत शीघ्र ही इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किए जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय"** स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
5. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पेयजल/जल संस्थान, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, विकास भवन, देहरादून।
8. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव।

(3) (10)

संख्या: 1135 /XI/15/56(38)2015

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 25 अगस्त, 2015

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते कैंटीन की व्यवस्था और उसका संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक: 30.07.2015 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है, जिसका नाम **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय"** रखा जाना है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वन हेतु योजना की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं–

1. योजनान्तर्गत 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' कैंटीन की स्थापना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में की जाएगी। उक्त कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन होगी।
2. नगर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा उक्त कैंटीन के संचालन हेतु निःशुल्क स्थान/फर्नीचर आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा क्रमशः बिजली एवं पानी की व्यवस्था निःशुल्क करायी जाएगी।
3. उक्त कैंटीन महिला स्वंय सहायता समूहों से संचालित कराई जाएगी।
4. योजनान्तर्गत प्रति थाली ₹20.00 उपभोक्ता से लिया जाएगा तथा ₹10.00 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा, जिस हेतु बजट की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी है।
5. जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उ0सिं0 नगर जैसे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति दिन अधिकतम 1200 थाली भोजन एवं अन्य जनपदों में प्रतिदिन अधिकतम 800 थाली भोजन दिया जाना है।
6. स्वंय सहायता समूहों को लाभान्वितों का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें उनका नाम एवं निवास स्थान अंकित हों, रखना आवश्यक होगा ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंशदान प्राप्त किए जाने में कोई अनियमितता न हो।
7. कैंटीन के संचालन हेतु ईधन/एल0पी0जी0 गैस की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

श्री रवि पंत
श्री सदीप ?
आवश्यक कार्यवाही
सूचना प्रेषित करें
24/09/15
AC (P)

8. योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन का समस्त उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

योजना के प्रथम चरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांकः 15.08.2015 को देहरादून नगर क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' का उद्घाटन किया गया। उक्त योजना के प्रति आमजन में बढ़ती लोकप्रियता के दृष्टिगत शीघ्र ही इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किए जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय"** स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
5. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पेयजल/जल संस्थान, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, विकास भवन, देहरादून।
8. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव।

53

महत्वपूर्ण

संख्या: 1076/XI/2017/56(68)2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 14 जुलाई, 2017

विषयः– इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना सम्बंधी दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या–1135/XI/15/56(38)2015 दिनांक 25.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य में **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना"** के सफल संचालन के दृष्टिगत प्रदेश के कतिपय जनपदों में कैन्टीनें खोली गई है। इस योजनान्तर्गत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं बिलों के भुगतान में पारदर्शिता बनाये जाने तथा योजना को और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाये जाने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना के दिशा–निर्देश तैयार किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैः–

"इंदिरा अम्मा भोजनालय" योजना मार्गनिर्देशिका

1. प्रस्तावना–

राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों/विभिन्न विभागों/सी0एस0आर0 आदि के वित्तीय सहयोग से इंदिरा अम्मा कैंटीन की स्थापना करते हुये एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालन किया जाना है, ताकि इन समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु की गयी यह एक अभिनव पहल है।

2. उद्देश्य–

योजना का उदेश्य ग्रामीण गरीब परिवार की महिलायें जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इंदिरा अम्मा कैन्टीन के संचालन के माध्यम से निरन्तर आयसृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुये आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना है।

3. लक्षित समूह–

1. ऐसे स्वयं सहायता समूह जो एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार गठित किये गये है तथा नियमित रूप से सक्रिय है एवं उनके द्वारा कम से कम परिकामी निधि (रिवाल्विंग फंड) प्राप्त कर लिया गया हो, पुनर्गठित समूह के मामले में समूह को या जिन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त हो चुका हो यदि पूर्व में उन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु एन0आर0एल0एम0 से

52

आर0एफ0 प्राप्त कर लिया गया हो, ऐसे समस्त समूह भी कैन्टीन के संचालन हेतु पात्र होंगे।

2. एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत गठित ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनको सी0आई0एफ0 प्राप्त हो चुका हो अथवा माइक्रोक्रेडिट प्लान इंदिरा अम्मा कैंटीन खोलने हेतु तैयार किया गया हो, को कैंटीन हेतु वरीयता दी जायेगी।
3. शहरी निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते है, बशर्ते शहरी विकास विभाग द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाये।
4. नगर निगम क्षेत्रों में संचालित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायतित कैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होगा तत्पश्चात् 02 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होगें।
5. नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ते हुये अन्य संस्थाओं/कार्यालयों/निकायों आदि में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायतित कैंटीनों के संचालन कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। तत्पश्चात् 04 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होगें।

4. अवस्थापना विकास तथा वित्तीय व्यवस्थायें–

इंदिरा अम्मा कैंटीन खोले जाने हेतु, नगर निगम/नगर पालिका /पंचायतों आदि निकायों द्वारा स्थान, भवन, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधायें लक्षित स्वयं सहायता समूहों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु कतिपय कार्यो के लिये, विभिन्न सी0एस0आर0, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, अन्य रेखीय विभागों की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से प्रयास किये जायेंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा सब्सिडी युक्त कैन्टीन संचालित की जायेगी। सब्सिडी की धनराशि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा अम्मा भोजनालय के बजट से वहन किया जायेगा जो प्रति थाली रू0 10/– होगा। भविष्य में सब्सिडी के निर्धारण का अधिकार शासन को होगा जो कि कैन्टीन की वार्षिक आय/लाभ के आधार पर गणना उपरांत किया जायेगा। इस हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार शासन का होगा। यद्यपि ऐसी कैन्टीनों को सरकार द्वारा सुविधादाता के रूप में सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा जो शीघ्रातिशीघ्र लाभ में संचालित होते हुये सब्सिडी त्यागने के इच्छुक होंगे अर्थात इन कैन्टीन्स को धीरे–धीरे स्व–स्थायी (self sustainable) होना चाहिये। स्व–स्थायी होने वाली कैन्टीन्स को राज्य सरकार सुविधादाता के रूप में सहयोग करेगी एवं विभिन्न रेखीय विभाग की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण का प्रयास करेगी। कार्यालय परिसरों के अंदर मात्र कर्मचारियों के लिये कैन्टीन खोले जाने पर सब्सिडी देय नहीं होगी।

5. प्रकियात्मक दिशा निर्देश–

1. इंदिरा अम्मा कैन्टीन खोले जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है –

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3. जिला मिशन प्रबंधक, यू0एस0आर0एल0एम0	सदस्य
4. नगर निकाय का सक्षम प्राधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

51

4. नगर निकाय का सक्षम प्राधिकारी (आवश्यकतानुसार) सदस्य
5. जिलापूर्ति अधिकारी सदस्य
6. जनपद/ब्लाक स्तरीय फेडरेशन के अध्यक्ष फेडरेशन गठित न होने की दशा में कलस्टर/ग्राम स्तरीय संगठन के अध्यक्ष सदस्य

2. किसी भी इंदिरा अम्मा कैंटीन को खोलने हेतु संबंधित जनपद द्वारा स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु न्यूनतम 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा।
3. चयन में प्राथमिकता उसी न्याय पंचायत के स्वयं सहायता समूह को दी जायेगी जिसे न्याय पंचायत में अथवा उससे सटे नगर निकाय मे कैन्टीन स्थापित की जानी हो।
4. यदि एक से अधिक स्वयं सहायता समूह एक ही कैंटीन के लिये अर्ह पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में लाटरी आधार पर समूह का चयन किया जायेगा।
5. चयनित स्वयं सहायता समूह की बैंक खाता संख्या, एम0आई0एस0 संख्या, पासबुक की प्रति, एस0एच0जी0 की कैन्टीन खोलने संबंधी प्रस्ताव की छायाप्रति,समूह के समस्त सदस्यों की फोटोग्राफ आदि संबंधित जनपद में समूह चयन उपरांत अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे।
6. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसा समूह जिसको इंदिरा अम्मा कैंटीन आवंटित की जा रही है उसके प्रत्येक सदस्य तथा वह समूह पूर्णतः एन0आर0एल0एम0 मानक के अनुसार ही हो। किसी भी दशा में अन्य को उक्त योजना के तहत लाभ न दिया जाये।
7. एक स्वयं सहायता समूह को एक से अधिक कैंटीन आवंटित नहीं की जा सकती है।

6. मूल्यांकन तथा अनुश्रवण–

1. स्वयं सहायता समूह की प्रगति विवरण का मूल्यांकन उस ग्राम पंचायत के ग्राम संगठन द्वारा किया जायेगा जहां से समूह संबंधित है। यदि उस ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन नहीं है तो उस क्षेत्र का नजदीकी ग्राम संगठन द्वारा उस समूह के इंदिरा अम्मा कैंन्टीन की प्रगति समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी, जिसे ग्राम संगठन के अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा।
2. कैंटीन संचालन वाले स्वयं सहायता समूह के अभिलेखों में इंदिरा अम्मा कैंटीन से प्राप्त आय–व्यय का ब्यौरा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही तथा कैश बुक/बही खाता में दर्ज किया जायेगा। यदि समूह के अभिलेख में इंदिरा अम्मा कैंटीन से प्राप्त आय तथा व्यय का ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जायेगा तो ऐसे समूह की कैंटीन को निरस्त कर दिया जायेगा। **यह व्यवस्था समस्त इंदिरा अम्मा कैंन्टीन जो कि पूर्व से राज्य में संचालित है, पर भी लागू होगी ।**
3. प्रत्येक इंदिरा अम्मा कैंटीन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राहक जो कि भोजन ग्रहण करेगा, उसे कूपन उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका रिकार्ड समूह द्वारा रखा जायेगा। प्रत्येक ग्राहक का नाम तथा मोबाइल नं0 भी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा। जिसका सत्यापन रेंडम आधार पर एस0आर0एल0एम0/ जिला मिशन इकाई/ब्लाक मिशन प्रबंधन ईकाई के प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि किसी समूह की सूचना

50

असत्य पायी गई तो कैन्टीन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं संबंधित समूह से सब्सिडी की वसूली की जायेगी।

4. इंदिरा अम्मा कैंटीन में मद्यपान, धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार का नशा का उपयोग वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर समूह का कैन्टीन संचालन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. नियम विरूद्ध कार्यो पर समूह का कैन्टीन संचालन निरस्त करने का अधिकार जनपद स्तरीय समिति का होगा।
6. इंदिरा अम्मा कैंटीन हेतु राज्य स्तर पर सूचना एकत्रीकरण तथा अनुश्रवण हेतु एम0आई0एस0 कराकर उसका उपयोग भी किया जायेगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राहक को फोटोयुक्त कूपन सूक्ष्म सूचना सहित इसी एम0आई0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना एस0आई0एस0 के माध्यम से स्वयं ही आनलाइन संकलित हो जायेगा।
7. सरकारी परिसरों में भी गैर सब्सिडी मॉडल (Non-Subsidy model) की इंदिरा अम्मा कैंटीन स्वयं सहायता समूहों को दी जा सकती है।
8. इंदिरा अम्मा कैंटीन संचालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों यथा एन0आर0एल0एम0, डी0डी0यू0जी0के0वाई0 आदि के तहत खाद्य सेक्टर, स्वाथ्यकारी कार्यशैली (hygenic working), क्षमता विकास आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।
9. इंदिरा अम्मा कैंटीन संचालित करने वाले स्वयं सहायता समूह को कैंटीन में एक दैनिक रजिस्टर (जिसमें तिथिवार प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता तथा मोबाइल नं0 अंकित होगा), एक स्टाक रजिस्टर तथा एक कैशबुक रखी जायेगी, जिसका नियमित लेखा–जोखा रखा जायेगा। उक्त अभिलेख कैन्टीन के कार्यालय में रहेंगे जो कि समूह के अभिलेखों से अलग होंगे तथा उक्त अभिलेखों का सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जांच की जायेगी।

कृपया दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/2017/56(27)2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव,मा0ग्राम्य विकास मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यू0एस0आर0एल0एम0, विकास भवन, सर्वेचौक, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव

संख्या 618 /XI/19/56(68)2015

प्रेशक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2019

विषय–इंदिरा अम्मा भोजनालय की दिशा–निर्देशिका में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1076/XI/17/56(68)2015, दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्गत इन्दिरा अम्मा भोजनालय की दिशा–निर्देशिका के बिन्दु संख्या 3.3 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है–

3.3 शहरी निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, बशर्ते शहरी विकास विभाग द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाये।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है:–

3.3 शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 1076/XI/17/56(68)2015, दिनांक 14.07.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या /XI/19/56(68)2015 तद्दिनांकित।

1. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, आजीविका भवन, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।